न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 07 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 मोहनलाल पुत्र पुखराज जाति जैन निवासी थरासनी हालनिवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली		1. शांतीदेवी पत्नि पुखराज 2. भंवरलाल पुत्र सांवलराम 3. कालुराम पुत्र नारायणलाल जातियान सैन निवासी थरासनी तहसील सोजत जिला पाली 4. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित 1955

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्रसैन अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. श्री भुपेन्द्रसेन अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

दिनांक – 29/08/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा थरासनी तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1153, 1155, 125, 1332, 192, 215, 353, 365, 429, 461, 667, व 704 कुल खसरा 13 कुल रकबा 10.9900 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता पुखराज व दादा रामा के नाम से खातेदारी चली आ रही है। वक्त पुखराज के फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय घरेलु बोलता नाम भूल से मोहनलाल की जंगह भोमाराम पुत्र पुखराज लिख दिया गया था वादी का सही नाम मोहनलाल है। अन्य लोक दस्तावेज राशनकार्ड, पेनकार्ड, व स्कुल ट्रांसफर व अन्य दस्तावेज मे मोहनलाल अंकित है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे वाद विंरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा थरासनी तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1153, 1155, 125, 1332, 192, 215, 353, 365, 429, 461, 667, व 704 कुल खसरा 13 कुल रकबा 10.9900 हैक्टर की कृषि भूमि में गलत नाम भोमाराम के स्थान पर मोहनलाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.10.2023 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसे पृथक से तस्दीक किया जाकर सा0गि0 किया गया। उभय पक्षो ने आपसी राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य लोकअदालत की भावना राजीनामा हो चुका है। वादी का जो गलत नाम राजस्व रेकर्ड में भोमाराम दर्ज है उसके स्थान पर मोहनलाल किया जाता है तो, प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। प्रकरण में वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा गया । तहसीलदार सोजत ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि भोमाराम पुत्र पुखराज व मोहनलाल पुत्र पुखराज एक ही

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

व्यक्ति है। भोमाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र पुखराज इन्द्राज किया जाना उचित है।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा सरहद मौजा थरासनी तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1153, 1155, 125, 1332, 192, 215, 353, 365, 429, 461, 667, व 704 कुल खसरा 13 कुल रकबा 10.9900 हैक्टर की कृषि भूमि में गलत नाम भोमाराम के स्थान पर मोहनलाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कोई आपती नही होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, आपसी राजीनामा, फहरिस्त मय दस्तावेजात, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस पर गौर कर मनन किया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात व आपसी राजीनामा से वादी का सही व वास्तविक नाम मोहनलाल पुत्र पुखराज होने की सम्पुष्टि होती है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाना व वादस्थ कृषि भूमि में वादी का सही व वास्तविक नाम मोहनलाल पुत्र पुखराज दुरूस्त इन्द्राज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा थरासनी तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1153, 1155, 125, 1332, 192, 215, 353, 365, 429, 461, 667, व 704 कुल खसरा 13 कुल रकबा 10.9900 हैक्टर की कृषि भूमि में गलत नाम भोमाराम पुत्र पुखराज के स्थान पर मोहनलाल पुत्र पुखराज दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

([illegible] नियम [illegible] जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकददमें इब्तादाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

वादी

बनाम

प्रतिवादी

1 मोहनलाल पुत्र पुखराज जाति जैन निवासी थरासनी हालनिवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली

1 शातीदेवी पत्नि पुखराज
2 भंवरलाल पुत्र सावलराम
3 कालूराम पुत्र नारायणलाल जातियान सैन निवासी थरासनी तहसील सोजत जिला पाली
4 तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या — 07/2023

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री नरेन्द्र सेन अधिवक्ता वादी तथा श्री भुपेन्द्र सेन अधिवक्ता प्रतिवादी व तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है सरहद मौजा थरासनी तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 1153, 1155, 125, 1332, 192, 215, 353, 365, 429, 461, 667, व 704 कुल खसरा 13 कुल रकबा 10.9900 हैक्टर की कृषि भूमि में गलत नाम भोमाराम पुत्र पुखराज के स्थान पर मोहनलाल पुत्र पुखराज दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान —   मुबलिग —   बाबत ——

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/08/2024 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.